रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 360] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 1987/आषाढ़ 23, 1909
No. 360] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 1987/ASADHA 23, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1987

अधिसूचना

का.आ. 693(अ).—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10—क की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, एक्सप्रैस बिल्डिंग, चर्च गेट, बम्बई से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों, जिनका प्रतिनिधित्व इंडियन नेशनल सीमेंट एवं एलायड वर्कर्स फैडरेशन, मजदूर कार्यालय, कांग्रेस हाउस, बम्बई करता है, के बीच माध्यस्थम करार को भारत के राजपत्र में दिनांक 8 अक्तूबर, 1986 के श्रम मंत्रालय के आदेश संख्या एल-29013/5/86-डी-3 (बी) के तहत प्रकाशित किया है;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि संदर्भाधीन व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उप धारा (3क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उन नियोजकों और कर्मकारों की सूचना के लिए, जो माध्यस्थम करार के पक्षकार नहीं हैं लेकिन जिनका संबंध विवाद से है, यह अधिसूचित करती है कि मध्यस्थों के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर उन्हें दिया जाएगा ।

[सं. एल-29011/10/86-डी-3(बी)]

अशोक नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 14th July, 1987

NOTIFICATION

S.O. 693(E).—Whereas in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government has published the arbitration agreement between the employers in relation to Cement Manufacturers' Association, Express Building, Churchgate, Bombay and its workmen represented by Indian National Cement and Allied Workers Federation, Mazdoor Karyalaya, Congress House, Bombay in the Gazette of India vide Ministry of Labour Order No. L-29013|5|86-D.III(B) dated 8th October, 1986;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the persons in the reference represent the majority of each party;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3A) of Section 10A of the said Act, the Central Government hereby notify the information of the employers and workmen who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute that they shall be given an opportunity or presenting their case before the Arbitrators.

[No. L-29011|10|86-D.III(B)]

ASHOK NARAIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987